न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) फलोदी
पीठासीन अधिकारी–डॉ. अर्चना व्यास RAS

वाद संख्या 275/2018

वादीगण
1. बाबूराम पुत्र कोशलाराम
2. छोगाराम पुत्र कोशलाराम
3. वंशीलाल पुत्र कोशलाराम
सभी जाति – विश्नोई
निवासी – सुभाष नगर भींयासर
तहसील – फलोदी जिला जोधपुर (राज.)

बनाम

प्रतिवादीगण
1. बरसींगा पुत्र कोजाराम
2. मालाराम पुत्र कोशलाराम
3. हरलाल पुत्र हणुताराम
4. बरजू पत्नी बशीलाल
5. कोशलाराम पुत्र कोजाराम (फौत)
कायम मुकाम कोहलाराम
5 (1) सजना पत्नी स्व. कोशलाराम
5 (2) मालाराम पुत्र स्व. कोशलाराम
6. हणुताराम पुत्र कोजाराम
7. बगताराम पुत्र कोजाराम
8. हीरालाल पुत्र लालूराम
सभी जाति – विश्नोई
निवासी – सुभाष नगर भीयासर
तहसील – फलोदी जिला जोधपुर
9. शाखा प्रबन्धक जोधपुर सहकारी भुमि विकास बैंक लि. शाखा फलोदी
10. तहसीलदार फलोदी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

उपस्थित :–
1. श्री नबाब खान वादीगण की ओर से

निर्णय

दिनांक 18/10/22

वाद के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 02 ता 06 की संयुक्त खातेदारी अधिकारों की कृषि भूमि वाके ग्राम सुभाष नगर पटवार क्षेत्र भींयासर तहसील फलोदी जिला जोधपुर में खेत खसरा नम्बर 537 रकबा 128 बीघा 19 बिस्वा भूमि आई हुई है। उक्त खसरा की भूमि को आगे दावा में वादग्रस्त भूमि के नाम से सम्बोन्धित किया जावेगा। नकल जमाबंदी सम्वत् 2068 से 2071 दावा के साथ पेश है। उक्त वादग्रस्त खसरा नम्बर में वादीगण 8/45 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 2 व 3 को संयुक्त रूप से 2/9 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 4 का 1/3 हिस्सा एवं प्रतिवादीगण संख्या 5 ता 7 व 1 का संयुक्त रूप से 4/15 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 8 का 1/15 हिस्सा भूमि बंट में आती है तथा इसी अनुसार ही राजस्व रेकर्ड में दर्ज चली आ रही है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण का मोके पर अपने अपने हिस्सा अनुसार कब्जा काश्त शान्तिपूर्वक चला आ रहा है जिसमें आज दिन तक किसी ने भी किसी प्रकार की दखल अंदाजी नही की है। प्रतिवादी संख्या 01 ने उक्त वादग्रस्त खसरान की भूमि में से अपना खरीदसुदा 1/9 हिस्सा एवं पैतृक0 खातेदारी का 1/15 हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के दिनांक 29.04.1999 को वादीगण को बेचान कर मौके पर कब्जा सुपुर्द कर दिया था तथा उक्त रजिस्टर्ड बेचान के आधार पर उक्त बेचान की गई प्रतिवादी संख्या 01 के हिस्से की सम्पूर्ण भूमि वादीगण के नाम राजस्व रेकर्ड में नामांतरकरण संख्या 1230 मोजा भींयासर के जरिये दर्ज कर दी गई। पूर्व खातेदार प्रतिवादी संख्या 01 ने अपने खरीदसुदा 1/9 हिस्सा और पैत हिस्से का 1/15 हिस्सा वादीगण को बेचान किया था तथा इसी अनुसार कब्जा सुपुर्द किया था। प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा उक्त खसरा की भूमि में अपने सम्पूर्ण हिस्से की भूमि बेचान करने के बाद उसके हिस्से में कुछ भी नही बचा था। उक्त वादग्रस्त खसरा की भूमि के पूर्व खातेदार प्रतिवादी संख्या 01 ने उक्त वादग्रस्त भूमि में अपना सम्पूर्ण 1/9 हिस्सा एवं 1/15 हिस्सा वादीगण को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के बेचान कर दिया था तथा मौके पर कब्जा भी वादीगण को सुपुर्द कर दिया तथा उक्त रजिस्टर्ड बेचान के आधार पर वादीगण के नाम नामांतरकरण भरा जाकर स्वीकृत किया गया था। मगर उक्त नामांतरकरण भरते समय हल्का पटवारी ने पूर्व खातेदार बरसींगा पुत्र कोजाराम का नाम व हिस्सा खाते से हटाया नहीं जो आज दिन तक लगातार बदस्तुर जमाबंदी में दर्ज चला आ रहा है। वादीगण ने राजस्व कर्मचारियों एवं अधिकारियों को बरसींगा पुत्र कोजाराम का नाम राजस्व रेकर्ड से हटाये जाने बाबत् कई बार निवेदन किया मगर राजस्व कर्मचारी एवं अधिकारी हर बार टालमटोल करते रहे। वादीगण उक्त वादग्रस्त खसरा की भूमि के राजस्व रेकर्ड से बरसींगा पुत्र कोजाराम का नाम हटवा कर उसके स्थान पर 1/9 एवं 1/15 हिस्सा की खातेदारी अधिकारों की घोषणा अपने नाम से करवाने के अधिकारी है जिसका यह दावा पेश है। वादीगण उक्त

वादग्रस्त खसरा की भूमि मे बरसींगा पुत्र कोजाराम का खरीदसुदा 1/9 हिस्सा एवं पैतृक 1/15 हिस्सा की सम्पूर्ण भूमि को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के खरीद चुके है तथा मौके पर कब्जा भी पूर्व खातेदारी बरसींगा से उसके 1/9 एवं 1/15 हिस्सा का प्राप्त कर चुके है तथा वर्तमान मे भी वादीगण उपरोक्त वर्णित हिस्सा अनुसार उक्त भूमि मे कब्जा काश्त चला आ रहा है, इसलिये वादीगण उक्त वादग्रस्त खसरा की भूमि मे अपने 1/9 और 1/15 हिस्सा की खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने के अधिकारी है जिसका यह वाद पेश है। उक्त वादग्रस्त खसरा की भूमि के राजस्व रेकर्ड में दर्ज बरसींगा पुत्र कोजाराम का नाम हटाया जाकर उसके हिस्से की भूमि वादीगण के नाम राजस्व रेकर्ड मे दर्ज करवाने के अधिकारी है जिसका यह राजस्व रेकर्ड शुद्धि का वाद पेश है। वादीगण ने उक्त खसरान् के राजस्व रेकर्ड में शुद्धि करवाने के लिये प्रतिवादी संख्या 10 को कई मर्तबा निवेदन किया मगर प्रतिवादी संख्या 10 हर बार टालमटोल कर जवाब देते रहे इसलिये वादीगण को दावा करने की जरूरत पड़ी है। प्रतिवादीगण संख्या 09 के यहां प्रतिवादी संख्या 02 का हिस्सा रहन होने से पक्षकार बनाया गया है मगर उनके विरूद्ध कोई रिलीफ नही चाही गई है। प्रतिवादी संख्या 10 तहसीलदार फलोदी भूमिधारी होने से एवं दावा राजस्व रेकर्ड शुद्धि का होने से पक्षकार बनाया गया है। व्यवहारकरण वादीगण द्वारा बरसींगा पुत्र कोजाराम से खरीद करने के बाद उक्त भूमि का नामांतरंकरण भरते समय बरसींगा पुत्र कोजाराम का नाम व हिस्सा नहीं हटाये जाने से बमुकाम ग्राम सुभाष नगर पटवार क्षेत्र भींयासर तहसील फलोदी जिला जोधपुर मे पैदा होता है जो आज दिन तक लगातार जारी है।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्ट्रर किया गया प्रतिवादीगण को जरीये नोटिस तलब किया गया प्रतिवादीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं इनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी वादी साक्ष्य में बंशीलाल के बयान कलमबद्ध किये गये । वाद में अधिवक्ता वादी की बहस सुनी गयी अधिवक्ता वादीगण ने अपनी बहस में बताया कि ग्राम सुभाष नगर पटवार क्षेत्र भींयासर तहसील फलोदी जिला जोधपुर में खेत खसरा संख्या 537 रकबा 128 बीघा 19 बिस्वा भूमि में वादीगण को प्रतिवादी संख्या 01 के खरीदसुदा अधिकारों की 1/9 हिस्सा एवं पैतृक हिस्से की 1/15 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें और राजस्व रेकर्ड में वादीगण के नाम से इन्द्राज किया जावें। वादीगण के नाम नामांतरकरण भरते समय उक्त भूमि के पूर्व खातेदार बरसींगा का नाम व हिस्सा राजस्व रेकर्ड नही हटाया जाकर राजस्व रेकर्ड में शुद्वि कर वादीगण के नाम संयुक्त रूप से 8/45 हिस्सा भूमि दर्ज की जावे। पत्रावली का अवलोकन किया, वादी अधिवक्ता की बहस सुनी व वाद का मनन किया वाद अवलोकन एवं बहस पर मनन के बाद स्वीकार योग्य पाया जाता है।

आदेश

वाद वादी स्वीकार किया जाकर ग्राम सुभाष नगर पटवार हल्का भींयासर के खेत खसरा संख्या 537 रकबा 128 बीघा 19 बिस्वा भूमि में वादीगण को संयुक्त रुप से 8/45 हिस्सा, का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। माफिक आदेश डिकी पर्चा अलग से जारी हो। तहसीलदार फलोदी इसी अनुसार रिकोर्ड में अमल दरामद करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 18.10.22 खुले न्यायालय में सुनाया गया।

डॉ. अर्चना व्यास (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक
फलौदी

डिगरी बमुकदमें इब्तदाई
अज अदालत श्री सहायक कलक्टर फलौदी
बइजलास डॉ. अर्चना व्यास (आर. ए. एस.)

वादीगण

1. बाबूराम पुत्र कोशलाराम
2. छोगाराम पुत्र कोशलाराम
3. वंशीलाल पुत्र कोशलाराम

सभी जाति – विश्नोई
निवासी – सुभाष नगर भींयासर
तहसील – फलोदी जिला जोधपुर (राज.)

बनाम

प्रतिवादीगण

1. बरसींगा पुत्र कोजाराम
2. मालाराम पुत्र कोशलाराम
3. हरलाल पुत्र हणुताराम
4. बरजू पत्नी बंशीलाल
5. कोशलाराम पुत्र कोजाराम (फौत)
   कायम मुकाम कोहलाराम
5 (1) सजना पत्नी स्व. कोशलाराम
5 (2) मालाराम पुत्र स्व. कोशलाराम
6. हणुताराम पुत्र कोजाराम
7. हीरालाल पुत्र लालूराम
   सभी जाति – विश्नोई
   निवासी – सुभाष नगर भींयासर
   तहसील – फलोदी जिला जोधपुर
8. शाखा प्रबन्धक जोधपुर सहकारी भूमि विकास बैंक लि. शाखा फलोदी
9. तहसीलदार फलोदी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

वाद संख्या 275 / 2018

यह मुकदमा आज वास्ते इन फिसाल कतई रुबरु मेरे हाजिर श्री नबाव खान अधिवक्ता मुदई पेश होकर हुक्म दिया जाता है वाद वादी स्वीकार किया जाकर ग्राम सुभाष नगर पटवार हल्का भींयासर के खेत खसरा संख्या 537 रकबा 128 बीघा 19 बिस्वा भूमि में वादीगण को संयुक्त रुप से 8/45 हिस्सा, का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

मुतालिक बाबत

खर्चा इस मुकदमें मय सूद व भाहर फीस सदी सालाना आज की तारीख को अदा करें।
वसूल याबी तक
बसब्त मरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 18 माह 10 सन् 2022 को जारी की गई।

दस्तखत
सहायक कलक्टर [illegible] दण्डनायक
ओहदा (फास्ट ट्रैक) फलोदी

मोहर

मुदई	रुपया	पैसे	मुदायला	रुपया	पैसे
		–	अर्जी दावा स्टाम्प वकालतनामा	–	–
अर्जी दावा स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वजह सबूत		
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनतनामा वकील		
मेहनतनामा वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमी नर		
फीस कमी नर			बाबत् इजराय हुक्मनामा मिजान		
बाबत् इजराय हुक्मनामा मिजान					